

बिहार सरकार
खेल विभाग
॥ अधिसूचना ॥

सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024...2745.../ पटना-15, दिनांक-19-06-2025

भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा खेल विभाग के अधीनस्थ राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर में क्रीड़ा प्रशिक्षक कर्मियों के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (i) यह नियमावली "राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025" के नाम से जानी जायेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।**— इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(ii) "विभाग" अथवा "नियंत्री विभाग" से अभिप्रेत है खेल विभाग;
(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग;
(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग;
(v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के क्रीड़ा प्रशिक्षक;
(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खेल विभाग;
(vii) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति से है;
(viii) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।
3. **संवर्ग की संरचना।**— (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्र.सं.	पद का नाम	स्तर	प्रास्थिति
1.	क्रीड़ा प्रशिक्षक	मूल कोटि	अराजपत्रित

- (ii) इस संवर्ग के मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
- (iii) इस संवर्ग के पद का वही वेतनमान/वेतनस्तर अनुमान्य होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित/स्वीकृत किया जाय।

(Veera)

(iv) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा एवं संवर्ग बल ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

4. **अर्हता।**— (i) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होगी।

(ii) उम्मीदवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर अथवा केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार खेल विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) **खेल उपलब्धि**— ओलम्पिक/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स में संबंधित खेल विधा में आयोजित प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त जूनियर चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय युवा चैम्पियनशिप में कम-से-कम दो बार प्रतिभागिता या इन्टर सर्विसेज प्रतियोगिता /ऑल इन्डिया पुलिस गेम्स/इन्टर रेलवे चैम्पियनशिप में 03 बार प्रतिभागिता।

(iv) विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

5. **चयन की प्रक्रिया।**— (i) विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों की गणना कर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को उपलब्ध करायेगी।

(ii) प्राप्त अधियाचना के आधार पर चयन के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया जायेगा।

(iii) विज्ञापन के आलोक में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय/साक्षात्कार एवं पाठ्यक्रम का अवधारण शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के नियमित कोर्स के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

(iv) आयोग द्वारा परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुरूप रोस्टरवार नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जायेगी।

(v) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। पदीय कर्तव्य को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने के

लिए विभाग द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित शारीरिक मापदण्ड पूरा नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा समाप्त कर दी जायेगी।

6. **आरक्षण।**— संवर्ग में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।
7. **वरीयता।**— संवर्ग में नवनियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षक कर्मियों का पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा यथानिर्धारित मेधा क्रमानुसार होगी।
8. **परिवीक्षा अवधि।**— (i) संवर्ग के मूल कोटि पर नियुक्त सदस्य पदग्रहण की तिथि से 01 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से इसे 01 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
(ii) परिवीक्षा अवधि में नवनियुक्त सदस्य को विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
9. **सम्पुष्टि।**— परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रहने, परिवीक्षा अवधि में यथानिर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
10. **प्रशिक्षण।**— इस संवर्ग के सदस्य को खेल के उच्चस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर अथवा आयोजन अनुभव के लिए राज्य में अथवा राज्य/देश से बाहर, राज्य द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा।
11. **अवशिष्ट मामले।**— जिस विषय अथवा जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए प्रवृत्त प्रावधान इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
12. **कठिनाईयों का निराकरण।**— जहाँ सरकार की राय में इस नियमावली के किसी प्रावधान से सेवा के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह को अनुचित कष्ट हो रहा हो, वहाँ सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, इस नियमावली के किसी प्रावधान/प्रावधानों को सेवा के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह के लिए शिथिल कर सकेगा।
13. **निर्वचन।**— जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई शंका हो, उसे, सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग के परामर्श से, विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
14. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (i) नियत तिथि के पूर्व इस संवर्ग के लिए निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

Veer

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व की नियमावली/संकल्प/अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा लिया गया समझा जाएगा, मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कार्य किया गया अथवा निर्णय लिया गया था।

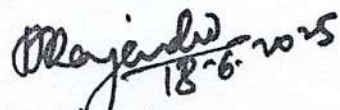
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


18.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

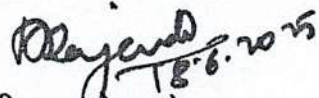
ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024~~2745~~ / पटना-15, दिनांक-19.06/2025
प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु तथा इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।


18.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024~~2745~~ / पटना-15, दिनांक-19.06/2025
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

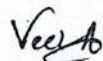
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024~~2745~~ / पटना-15, दिनांक-19.06/2025
प्रतिलिपि:-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक-10.06.2025 की बैठक में मद संख्या-02 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

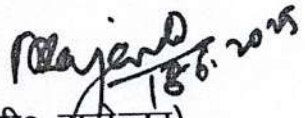

18.6.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव



ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024 ~~2745~~ पटना-15, दिनांक ~~19-06~~ / 2025
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त
सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी विभागीय
पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञाप सं०-01/स्था०-26(निय०)-05/2024 ~~2745~~ पटना-15, दिनांक ~~19-06~~ / 2025
प्रतिलिपि:-श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, खेल विभाग को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(डॉ० बी० राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
